## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 884वी बैठक दिनांक 07.05.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 884वी बैठक दिनांक 07.05.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमामाहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

**प्राधिकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–** MEMBER SECRETARY'S DISSENT NOTE ON THIS MINUTES IS ATTACHED SEPARATELY

| क्र | प्रकरण क्र. | अधिसूचित श्रेणी | जिला | परियोजना | SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित | प्राधिकरण का निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11016/2023 | 1(a) | उज्जैन | पत्थर खदान | ToR (DEIAA - EC) | जारी किया जाये |
| 2. | 10778/2023 | 1(a) | नीमच | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 3. | 7421/2020 | 1(a) | निवाड़ी | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 4. | P-2/17/2024 | 1(a) | मण्डला | डोलोमाईट खदान | ToR (DEIAA - EC) | जारी किया जाये |
| 5. | P-2/18/2024 | 1(a) | मण्डला | डोलोमाईट खदान | ToR (DEIAA - EC) | जारी किया जाये |
| 6. | 10107/2023 | 1(a) | उज्जैन | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 7. | 9352/2022 | 1(a) | धार | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | जारी किया जाये |
| 8. | P-2/01/2023 | 1(a) | खरगौन | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | ADS जारी किया जाये |
| 9. | 10758/2023 | 1(a) | कटनी | लेटेराईट एवं फायरक्ले खदान | मार्गदर्शन (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 10. | P-2/1011/24 | 1(a) | बुरहानपुर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | जारी किया जाये |
| 11. | P-2/996/24 | 1(a) | छतरपुर | पत्थर खदान | ToR (DEIAA - EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 12. | 10784/2023 | 1(a) | अशोकनगर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 13. | 10919/2023 | 1(a) | शिवपुरी | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 14. | 10808/2023 | 1(a) | उज्जैन | मुरूम एवं पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | जारी किया जाये |

03/06/2025 03.06.25

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 9983/2023 | 1(a) | नीमच | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | जारी किया जाये |
| 16. | 11028/2023 | 1(a) | शिवपुरी | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 17. | 11141/2024 | 1(a) | इन्दौर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 18. | P-2/839/24 | 1(a) | अनूपपुर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 19. | P-2/873/24 | 1(a) | मण्डला | डोलोमाईट खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 20. | 10001/2023 | 1(a) | उज्जैन | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC) | जारी किया जाये |
| 21. | P-2/1120/25 | 1(c) | कटनी | सिचाई परियोजना | ToR | जारी किया जाये |
| 22. | P-2/1121/25 | 1(c) | छिन्दवाड़ा | सिचाई परियोजना | ToR | जारी किया जाये |
| 23. | P-2/489/24 | 1(a) | सतना | चूनापत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | जारी किया जाये |
| 24. | 11175/2024 | 1(a) | सतना | बॉक्साईट एवं लेटेराईट खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 25. | P-2/311/24 | 1(a) | छतरपुर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | जारी किया जाये |
| 26. | P-2/1143/24 | 1(a) | उज्जैन | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | जारी किया जाये |
| 27. | P-2/1144/24 | 1(a) | उज्जैन | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | जारी किया जाये |
| 28. | 10464/2023 | 1(a) | रीवा | बॉक्साईट खदान | उभय पक्षों से प्राप्त प्रतिवेदन | SEAC को अग्रेषित किया जाये |
| 29. | 10465/2023 | 1(a) | रीवा | बॉक्साईट खदान | उभय पक्षों से प्राप्त प्रतिवेदन | SEAC को अग्रेषित किया जाये |

1. **प्रकरण क्र. 11016/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री धर्मेन्द्रप्रताप सिहं सेंगर आत्मज श्री शिवराम सिंह सेंगर निवासी इंदिरा नगर, वार्ड नं. 26, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, वर्तमान प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 7600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 44, ग्राम –नैनावद, तहसील तराना जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 एवं 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) एवं विशिष्ट शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर** विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 एवं 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) एवं विशिष्ट शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की

03/06/2025

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की प्रति ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप समावेश कर ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अभिप्रमाणित करवाकर ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.01.2025 के परिपालन में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTE के संबंध में टीप प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।**

V. **भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।**

VI. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

VII. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

VIII. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधिवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

IX. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई/ ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।**

X. **म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।**

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संकिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

**अतः परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।**

**2. प्रकरण क्र. 10778/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री नीरज पोरवाल आत्मज श्री नंदकिशोर पोरवाल, निवासी– ग्राम आंत्री बुजुर्ग, तहसील मनासा, जिला नीमच (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 420, 426, 492, ग्राम चपलाना, तहसील मनासा, जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वीं बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 840वी बैठक दिनांक 27.03.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–*

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर नीमच से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।*

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS दिनांक **27.05.2024** को उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला नीमच का पत्र कमांक **704** दिनांक 24.05.2024 प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रकरण में प्राप्त उपरोक्त जानकारी के परीक्षण उपरांत पाया गया कि :–

कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला नीमच द्वारा भी उनके पत्र दिनांक 24.05.2024 में बैरियर जोन परियोजना प्रस्तावक द्वारा खोदा गया है का उल्लेख किया गया है एवं भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.01.2019 के बिन्दु कमांक VIII के बिन्दु I में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन की शर्त का उल्लंघन किया गया है जिस कारण प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

3. **Case No. 7421/2020 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized) in an area of 4.00 ha. for production capacity of 14828 to 1,09,115 cum per annum at Khasra No. 132/3 at Village- Dabar Khas, Tehsil- Niwari, District-Niwari (M.P.) by Shri Rajendra Singh Yadav S/o Shri Rajaram Yadav, Owner, R/o Nandu Colony, Shivaji Nagar, Tehsil District-Jhansi ( U.P.)-284002.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756वीं बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. **परिवेश पोर्टल के CAF फार्म के बिन्दु कमांक 6 में लीज एरिया 4.00 हेक्टेयर के लिये आवेदन किया गया है और खसरा नम्बर 132/3 का उल्लेख किया गया है। खसरा पंचशाला वर्ष 2023–24 के अवलोकन करने पर पाया कि खसरा कमांक 132/3 का रकबा 4.0 हेक्टेयर न होकर 2.28 हेक्टेयर है, इसी खसरे के कॉलम नम्बर 4 में उक्त क्षेत्र पहाड़ दर्शाया गया है इसी के साथ संलग्न खसरा मैप में खसरा नम्बर 132/3 का रकबा 2.0 हेक्टेयर दिखाया गया है, अनुमोदित खनन योजना में खसरा नम्बर 132/3 का रकबा 2.0 हेक्टेयर दिखाया गया है इस तरह आवेदन पत्र, खसरा पंचशाला एवं अनुमोदित खनन योजना के रकबे में विरोधाभास है।**

**भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.05.2025 को आयोजित वीडिया कॉन्फ्रेसिंग में यह निर्देश दिये थे कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवेदन प्रस्तुत करते समय पर्यावरण सलाहकार को सम्यक सर्तकता बरतनी चाहिए** लेकिन प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि आवेदन पत्र में 4.0 हेक्टेयर का उल्लेख है और खसरा कमांक 132/3 का उल्लेख है। जब प्रश्नाधीन प्रकरण का खसरा पंचशाला देखा गया तो उसमें खसरे का रकबा 2.28 हेक्टेयर है एवं खसरे के कॉलम नम्बर 4 में यह भी उल्लेख है कि मौके पर पहाड़ है। जब

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

खसरे में रकबा ही 2.28 हेक्टेयर है तो 4.0 हेक्टेयर के लिये पर्यावरण सलाहकार ने किस आधार पर आवेदन करवाया, यह गंभीर त्रुटि है। यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सुनवाई सिर्फ 2.0 हेक्टेयर के लिये की गई और लीज भी 2.0 हेक्टेयर की है।

प्रश्नाधीन प्रकरण में यह भी उल्लेख है कि प्रश्नाधीन प्रकरण में जनसुनवाई दिनांक 30.03.2022 को आयोजित की गई, इस जनसुनवाई में अपर कलेक्टर निवाड़ी द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि ग्रामीण सड़क मार्ग की तरफ एम.एस. शीट की 15 फिट बाउण्ड्री का निर्माण 30 दिवस के भीतर कराया जाये किन्तु उसका पालन प्रतिवेदन भी प्रकरण में दिखाई नहीं दिया। अतः प्रकरण SEAC को भेजा जाकर उपरोक्त बिन्दुओं पर उनका अभिमत लिया जावे क्यों न यह प्रकरण निरस्त किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

4. **Case No. P-2/17/2023 Prior Environment Clearance for Bhatiyatola Dolomite Mining (Opencast semi mechanized) in an area of 0.87 ha. for production capacity of 10,000 MTPA at Khasra No. 89/1, Village: Bhatiyatola Tehsil- Nainpur, District-Mandla (M.P.) by Shri Robin Agrawal S/o Shri Vinod Kumar Agarwal, Proprietor, 7/26, Civil Lines Mandla (M.P.)-481661.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 758वी बैठक दिनांक 27.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) एवं SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 एवं 753वी बैठक दिनांक 17.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ Standard ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 758वी बैठक दिनांक 27.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तों (परिशिष्ट–डी) SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 एवं 753वी बैठक दिनांक 17.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र से 250 मीटर की परिधि में स्थित वन क्षेत्र के संबंध में संभागीय आयुक्त जबलपुर से अनुशंसा प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप समावेश कर ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.01.2025 के परिपालन में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTE के संबंध में टीप प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

V. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई / ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

X. म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संकिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

अतः परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

**5. Case No. P2/18/2024 Prior Environment Clearance for Bhatiyatola Dolomite Mining (Opencast semi mechanized) in an area of 2.2 ha. for production capacity of 49,965 MTPA at Khasra No. 95, Village: Bhatiyatola Tehsil- Nainpur, District-Mandla (M.P.) by Shri Robin Agrawal, Proprietor, 7/26, Civil Lines Mandla (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 758वी बैठक दिनांक 27.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) एवं SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 एवं 753वी बैठक दिनांक 17.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तो के साथ Standard ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात** निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 758वी बैठक दिनांक 27.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) SEAC की 745वी बैठक दिनांक 30.04.2024 एवं 753वी बैठक दिनांक 17.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र से 250 मीटर की परिधि में स्थित वन क्षेत्र के संबंध में संभागीय आयुक्त जबलपुर से अनुशंसा प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप समावेश कर ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.01.2025 के परिपालन में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTE के संबंध में टीप प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

V. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधिवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई / ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

X. म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कं. 16–10–7 / 2–ए / 19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे / बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है **तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण** कर **ईआईए प्रतिवेदन में** सम्मलित किया जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संकिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

अतः परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

**6. Case No 10107/23 Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand (Opencast semi mechanized) in an area of 1.99 ha. for production capacity of Stone-10000, M-Sand-15000 cum per yea at Khasra No. 170, 172, 173, 174/2, 176/1, 169/2, Village-Chakjai Rampur, Tehsil-Ujjain, District Ujjain (MP) by M/s Shree Sanwariya Infrastructures, Shri Rahul Gadia, R/o 37-38 Arihant Parisar , Hira Milmarg, Koyla Fatak, District –Ujjain (M.P.).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन** परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर खसरा नम्बर 170, 172, 173, 174/2, 178/1, 169/2 के लिये आवेदन किया गया है जबकि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला उज्जैन द्वारा स्वीकृत लीज एवं DEIAA EC में खसरा नम्बर 170, 172, 173, 174/2, 176/1, 169/2 अंकित है।
2. SEAC द्वारा 760वीं बैठक दिनांक 29.05.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.04.2019 के बिन्दु कमांक VIII के बिन्दु । में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

7. **Case No. 9352/22 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized) in an area of 3.0 ha. for Expansion production capacity from 22022 Cum per annum to 75000 Cum per annum at Khasra No. 1022/2, Village - Kheda, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP) by M/s Basa Buildcon Partner- Shri Abul Vakar, R/o- G-9, Jhumera Complex Near Hotel Manal, A.B. Road Vishwas Banjari, Post - Bhatkhedi, Tehsil Mahw, District Indore (MP).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 763वीं बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 763वी बैठक दिनांक 04.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का लीज अंतरण आदेश कमांक 1647 दिनांक 12.06.2019 के माध्यम से दिनांक 26.12.2027 तक के लिये स्वीकृत जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.12.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन** राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्तर दिशा में मौजूद वृक्षों से 60 मीटर का नो माईनिंग जोन छोड़ा जाये व लीज क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

(iv) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (**Cluster EMP**) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक **Site Specific Cluster EMP** को **EIA** के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक **Environment Cell** क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि **Cluster EMP** के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर **Cluster EMP**, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन **SEIAA** को प्रेषित किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

**8. Case No. P2/01/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized) in an area of 3.50 ha. for production capacity of 14550 cum per year at Khasra No. 486, Village- Surpala, Tehsil-Khargone, District- Khargone (MP) by Shri Satish Jaiswal,Proprietor, R/o-136, Tilak Path, Opp Pipal Awar, District-Khargone (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 एवं 763वीं बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–**

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में PFR रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई जो कि प्रारंभिक दस्तावेज है जिसे आवेदन के साथ अनिवार्यतः अपलोड किया जाना था।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत बिन्दु कमांक 1 की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

**9. Case No. 10758/2023 Prior Environment Clearance for Lateratie & Fireclay Mine (Opencast semi mechanized) for production capacity of Laterite 40139 TPA and Fireclay- 8952 TPA, in an area of 4.950 ha. at Khasra No. 312 P, Village – Majhgawan, Tehsil Badwara, Distt. Katni (M.P.) by M/S Maa Sharda Minerals, Shri Sumant Goswami, Partner, 22, Rai Colony, MPSEB Sub Station Katni (M.P)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार लेख किया गया है :–

| (आर. उमामहेश्वरी)<br>सदस्य सचिव | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)<br>सदस्य | (शिव नारायण सिंह चौहान)<br>अध्यक्ष |
|---|---|---|

*"यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि–अप्रैजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13–09–2018 के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07–05–2024 में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13–09–2018 के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशत कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13–09–2018 के बाद जारी की गयी है उनके एप्रैजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे। अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया।"*

I. **भारत सरकार** MoEF&CC **द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में** DEIAA **द्वारा दिनांक 13.09.2018 तक जारी पर्यावरण स्वीकृतियों** का पुनः परीक्षण किया जाना था, **चूँकि** वर्तमान में माननीय **सर्वोच्च** न्यायालय **के आदेश** के परिपालन में भारत सरकार MoEF&CC **द्वारा जारी** कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक **26.11.2024** के **अनुसार** DEIAA **द्वारा** दिनांक **11.12.2018** तक **जारी** पर्यावरण स्वीकृतियों का पुनः **परीक्षण** किये जाने का लेख है।

II. SEAC द्वारा 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.01.2019 के बिन्दु कमांक VIII के बिन्दु । में **स्पष्ट लेख** है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है।

राज्य **स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण** प्राधिकरण (SEIAA) **द्वारा प्रकरण** में **पर्यावरणीय मुद्दों** पर विस्तृत चर्चा व **परामर्श उपरांत निर्णय** लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं **के** दृष्टिगत **प्रकरण** पुनः परीक्षण SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को **सूचित** किया जाये।

**10. Case No. P2/1011/24 Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi- Mechanized Method) for Production capacity of Stone –19950 m3/Year (as per DEIAA EC), in an area of 2.00 ha. (As per SEAC rcommendation minable area 1.0804 ha), Khasra No. 659 Village. Khadkod, Teshil and District –Burhanpur (M.P.) by Shri Nilesh Chouksey, , R/o, Makan No- 01, Ward No.- 43, Lalbag, Burhanpur, District , Burhanpur, (MP) – 450331.**

राज्य स्तरीय **विशेषज्ञ मूल्यांकन** समिति (SEAC) की **765वी बैठक** दिनांक **07.06.2024** में **उक्त** प्रकरण में **मानक एवं अन्य** शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये **जाने** हेतु **अनुशंसा** की गई **है**।

राज्य **स्तरीय पर्यावरण** समाघात **निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय** मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 765वी बैठक दिनांक 07.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश का आदेश कमांक 9871–72 दिनांक 14.07.2021 के माध्यम से दिनांक 25.11.2020 से 10 वर्ष के नवकरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृत जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.11.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

**11. Case No. P2/996/24 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast Semi-Mechanized Method) in an area of 4.00 ha. for production capacity of 1,88,803 cum per annum at Khasra No. 946, Village Badourikala Tehsil Gaurihar, Dist. Chhatarpur (M. P.) by Shri Lakhwinder Panag R/o 1238, Sector 90, Mohali, Chhatarpur (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 768 वी बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टिया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 28.04.2023 के अनुसरण में जारी कार्यालयीन ज्ञापन एवं (Office Memorandum) दिनांक 15.01.2024 के अनुसार परिवेश पोर्टल पर निर्धारित SOP प्रकिया के अनुरूप DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति का SEIAA/SEAC द्वारा पुनः परीक्षण हेतु आवेदित प्रकरण में ToR जारी किये जाने का प्रावधान नहीं दिया गया है।

यद्यपि उक्त ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दी गई चेकलिस्ट में खनिज विभाग से क्लस्टर का अभिप्रमाणीकरण दस्तावेज सम्मिलित किया जाना निर्देशित है।

इस प्रकरण में भी क्लस्टर में सम्मिलित खदानों के अनुसार 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण SEAC समिति द्वारा उन सभी प्रकरणों को बी–1 श्रेणी का मानते हुये उनमें ToR जारी किये जाने की अनुशंसा कर प्राधिकरण को प्रेषित किया गया है। इस संबध में प्राधिकरण के पत्र क. 2141 दिनांक 03.03.2025 एवं पत्र क. 2149 दिनांक 04.03.2025 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार सूचित करते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञापन दिनांक 28.04.2023 में दी गई चेकलिस्ट अनुसार DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति के Re-appraisal उपरोक्त तालिकानुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किये जाये। तदानुसार संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

**12. Case No 10784/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi- Mechanized Method) in an area of 4.00 ha. for production capacity of 30780 cum per year at Khasra No. 375, Village-Lahadpur, Tehsil-Isagarh, District-Ashok Nagar (MP) by Shri Bhanu Kumar Jain, Partner, M/s Mahaveer Stone Crusher, R/o Village-Budiya, Tehsil-Ishagarh, District-Ashok Nagar (MP)-473338,**

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी)<br>सदस्य सचिव | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)<br>सदस्य | (शिव नारायण सिंह चौहान)<br>अध्यक्ष |

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 775वी बैठक दिनांक 21.02.2025 एवं 777वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–**

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना की वैधता दिनांक 20.06.2024 को समाप्त हो गई है।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन फार्म, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में पार्टनर का** नाम **भिन्न भिन्न है।**

राज्य **स्तरीय पर्यावरण** समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रकरण **में पर्यावरणीय मुद्दों** पर विस्तृत **चर्चा व परामर्श** उपरांत निर्णय लिया गया कि **प्रकरण में** उपरोक्त **बिन्दुओं के अनुसार पार्ट**नर का **नाम सभी दस्तावेजों में भिन्न –भिन्न है का** स्पष्टीकरण एवं जानकारी प्राप्त कर पुनः **परीक्षण किये जाने** हेतु **प्रकरण** SEAC **को अग्रेषित किया** जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित **किया जाये।**

**13. Case No 10919/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi- Mechanized Method) in an area of 4.00 ha. for production capacity of 37572 cum per year at Khasra No. 1104, Village-Parichchha Kirar, Tehsil-Pohri, District-Shivpuri (MP) by Shri Shubam Bansal, Partner, M/s Shri Girraj Ji Stone Crusher, R/o Gautam Vihar Colony, Circuit House Road, District-Shivpuri (MP)- 473551,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 774वी बैठक दिनांक 18.02.2025 एवं 777वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।
प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु **परियोजना प्रस्तावक** द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में **निम्नानुसार पाया गया :–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान का बैरियर जोन खुदा हुआ परिलक्षित है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.01.2019 के बिन्दु कमांक VIII के बिन्दु I में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

राज्य **स्तरीय पर्यावरण** समाघात **निर्धारण** प्राधिकरण **(SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों** पर विस्तृत **चर्चा व परामर्श** उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त **के बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण** में **पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में** SEAC **द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत** किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी)<br>सदस्य सचिव | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)<br>सदस्य | (शिव नारायण सिंह चौहान)<br>अध्यक्ष |

**14. Case No 10808/2023 Prior Environment Clearance for Murrum & Stone Quarry (Opencast Semi- Mechanized Method) in an area of 4.00 ha. for proposed applied production capacity of Stone-19400, Murrum-30000, M-Sand-18000 cum per year at Khasra No. 145, Village-Gunaikhalsa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) by M/s Shri Balaji Stone Crusher, Shri Abhishek Pal, Partner, R/o 16, Tirupati Dham Colony, Kanipura, Tarana Road, District-Ujjain (MP)-456010,**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 774वी बैठक दिनांक 18.02.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 774वीं बैठक दिनांक 18.02.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के लीज अंतरण आदेश कमांक 1863 दिनांक 19.10.2022 के माध्यम से दिनांक 17.09.2028 तक हेतु अंतरित की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.09.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के** अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

**15. Case No. 9983/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi- Mechanized Method), in an area – 4.0 ha., for production capacity of 50,000 cum per year at khasra No. - 8/1 (Govt.), Village Suwakheda, Tehsil Jawad, District Neemuch (M.P.). Smt. Lalita Patidar, R/o 19/51 Mahrana Bangla Neemuch, District-Neemuch (M.P).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 774वी बैठक दिनांक 18.02.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 774वीं बैठक दिनांक 18.02.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के लीज अंतरण आदेश कमांक 811 दिनांक 05.09.2019 के माध्यम से दिनांक 10.07.2026 तक हेतु अंतरित की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.07.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यो को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

**16. Case No 11028/2023: Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi- Mechanized Method) in an area of 4.00 ha. for proposed applied production capacity 40000 cum per year at Khasra No. 225/1 in Village-Dabra Dinara, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP) by M/s Mahakaleshwar Stone Crusher, Shri Anil Kumar Agrawal, Partner, R/o Bag Baba Sahib ka Bara, District-Dholpur (RJ)-328001.**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 774वी बैठक दिनांक 18.02.2025 एवं 777वी बैठक दिनांक 11.03.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।
प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान का बैरियर जोन खुदा हुआ परिलक्षित है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.01.2019 के बिन्दु क्रमांक VIII के बिन्दु I में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।
2. प्रस्तावित खदान का विवरण अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

**17. Case No.11141/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi- Mechanized Method) in an area of 1.10 ha. for proposed applied production capacity Gitti-15936 cum per year and M.sand 30000 cum per year at Khasra No. 86/1/3kh, Village-Kevadia, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) by Shri Chandra Patidar, Lessee, R/o Tillorkhurd, Tehsil & District-Indore, (MP)-452020**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 774वी बैठक दिनांक 18.02.2025 एवं 777वी बैठक दिनांक 11.03.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

**प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान का बैरियर जोन खुदा हुआ परिलक्षित है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.01.2019 के बिन्दु कमांक VIII के बिन्दु I में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण **में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।**

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

**18. Case No. P2/839/24 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi- Mechanized Method) for production capacity of 10200 Cubic Meter per year, in an area – 3.237 ha. (minable area 2.02 ha. as recommended by SEAC) at Khasra No. 12/1, in Village Medhakhar, Tehsil Pushprajgarh, District Anuppur (M.P.) by Rameshwari Jaiswal, Proprietor M/S Satyam Stonecrusher, Village – Ghotaikhurd, Tehsil – Pushprajgarh, District – Anuppur, (M. P.). 484881**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 757वी बैठक दिनांक 24.05.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य **स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 877वी बैठक दिनांक 13.03.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

*"राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–*

1. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रभाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।*
2. *अनुमोदित खनन योजना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।*
3. *प्रकिया शुल्क की पॉवती प्रस्तुत नहीं की गई है।*
4. *DEIAA पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।*

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिन्दु कमांक 1 से 4 तक की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाई परिवेश पोर्टल पर ADS दिनांक 25.03.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई।

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान का बैरियर जोन खुदा हुआ परिलक्षित है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.01.2019 के बिन्दु कमांक VIII के बिन्दु I में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।
2. प्रकरण में SEAC द्वारा DEIAA EC की कितनी शर्तों का परिपालन किया गया है का भी उल्लेख कार्यवाही विवरण में नहीं किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकल प्रमाण पत्र में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य एवं अधिसूचित ईको सेंसेटिव जोन से प्रस्तावित खदान की दूरी कितनी है की स्पष्ट जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

**19. Case No P2/873/2024 Prior Environment Clearance for Dolomite Mine (Opencast Semi- Mechanized Method) in an area of 1.81 ha. for proposed applied production capacity of 17,220 TPA at Khasra No. 450, 452, 457 in Village Kata Mal.Tehsil Bichhiya District Mandla (M.P.) by Shri Nitin Agrawal, Owner, Near Old State Bank, Civil Lines, Mandla (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 759वी बैठक दिनांक 28.05.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 878वी बैठक दिनांक 17.03.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*" राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–*

*1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पी.एफ.आर रिपोर्ट इस प्रकरण से संबधित नही है।*

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिन्दु कमांक 1 की जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। "*

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाई परिवेश पोर्टल पर ADS दिनांक 17.03.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई।

**प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–**

1. SEAC द्वारा 759वीं बैठक दिनांक 28.05.2024 के कार्यवाही विवरण में लेख किया गया है कि खदान क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है, इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 08.01.2019 के बिन्दु कमांक VIII के बिन्दु । में स्पष्ट लेख है कि 7.5 मीटर का बैरियर जोन ग्रीन बेल्ट हेतु अनिवार्य है। प्रश्नाधीन प्रकरण में बैरियर जोन खुदा होने के बाद भी अनुशंसा की गई।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अपना अभिमत प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

**20.** **प्रकरण कं. 10001/2023** परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल बौरासिया, निवासी – बी–23, आनंद नगर जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), रकबा 1.50 हेक्टेयर, विस्तार उत्पादन क्षमता पत्थर 5820 घनमीटर प्रतिवर्ष से 42000 घनमीटर प्रतिवर्ष (पत्थर 6300 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम–सेंड 35700 घनमीटर प्रतिवर्ष), खसरा नं. –149, गांव –चकजयरामपुर, तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 756वीं बैठक दिनांक 22.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 876वी बैठक दिनांक 12.03.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

*"प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–*

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना की वैधता दिनांक 31.03.2024 को समाप्त हो गई है। अतः परियोजना प्रस्तावक संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से नवीन खनन योजना अनुमोदित करवाकर ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाई परिवेश पोर्टल पर ADS दिनांक 20.03.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 756वीं बैठक दिनांक 22.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के लीज हस्तांतरण आदेश कमांक 289 दिनांक 01.06.2022 के माध्यम से दिनांक 11.10.2028 तक हेतु अंतरित की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.10.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना **आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार** पर **बनाया जाये, जिसे** क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित **सभी खदान मालिकों** की **सहमति** से एक **Environment Cell** क गठन किया जाये, जिसमें **जिला प्रशासन,** क्षेत्रीय **प्रदूषण** नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल **हो। इसी तरह** सभी **खदान** मालिक मिलकर एक समिति का **गठन** करें, ताकि **Cluster EMP के प्रावधानों** तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के **गठन** तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर **Cluster EMP,** समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण **बोर्ड एवं संबंधित** जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(iii) परियोजना **प्रस्तावक द्वारा** क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार **पर अनुपातिक** राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से** जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित **अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत** किया **जावेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(vi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(ix) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई** तक **खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।**

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

**21. Case No. P2/1120/2025: Prior Environment Clearance for Bahoriband Lift Micro Irrigation Project has been conceived to catter irrigation water to about 46,716 Ha. of CCA & 74,689 ha. GCA in Katni District (M.P.),by Executive Engineer, Narmada Development Division No. 3, Katni, Distt.- Katni (M.P.), Pin – 483501. Email: eenvdakatni@gmail.com Proposal No. SIA/MP/RIV/525603/2025. Cat. - 1(c) River Valley/Irrigation Projects (TOR)**

1. उक्त बहोरीबंद माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना कटनी जिले की बहोरीबंद, स्लीमनाबाद, रीठी और कटनी तहसील के 183 गांव के उत्पादन और सिंचाई क्षेत्र को बढाने हेतु प्रस्तावित है। परियोजना का जीसीए 74689 हेक्टेयर और इसका नेट सीसीए 46716 हेक्टेयर है।

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

2. प्रस्तावित प्रकरण नदी घाटी परियोजना की है अत ईआईए अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित अधिसूचना दिनांक 20–04–2022 के अनुसार उक्त परियोजना का सीसीए 10000 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम बी के अंतर्गत श्रेणी1(सी) केटेगरी में "बी1" के अंतर्गत शामिल है, इसलिए ऐसी परियोजनाओं को एसईआईएए से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, कटनी को पत्र क्रमांक 186 दिनांक 25.02.2025 के माध्यम से परियोजना क्षेत्र से नेशनल पार्क, अभयारण्य की दूरी हेतु एव कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, कटनी को पत्र क्र. 187 दिनांक 25.02.2025 के माध्यम से परियोजना के कार्यस्थल से अंतर्राजीय सीमा के दूरी हेतु आवेदन किया गया है।
4. SEAC की 778 वीं बैठक दिनांक 25.03.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित टॉर प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 36 से 39 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 778 वी बैठक दिनांक 25.03.25 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित टॉर जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ टॉर (TOR) प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, कटनी को पत्र क्रमांक 186 दिनांक 25.02.2025 के माध्यम से परियोजना क्षेत्र से नेशनल पार्क, अभयारण्य एवं ईको सेंसेटिव जोन की दूरी हेतु एव कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, कटनी को पत्र क्र. 187 दिनांक 25.02.2025 के माध्यम से परियोजना के कार्यस्थल से अंतर्राजीय सीमा के दूरी हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नेशनल पार्क, अभयारण्य एवं ईको सेंसेटिव जोन की दूरी का अभिप्रमाणीकरण वन मण्डलाधिकारी कटनी से प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
2. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area), forest area से संबंधित समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जानेवाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोगहेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।
4. Site specific management planका विस्तृत अध्यनकर ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख करे।
5. Sandकी कमी को देखते हुए sand के पुर्न उपयोग का प्रावधान को ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख करे।
6. प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे ।

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

7. संचालन अवधि के दौरान marshy land की स्थिति बनने पर क्या control measures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे।
8. रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा ईआईए रिपोर्ट में करे।
9. प्रस्तावित परियोजना के पास यदि कोई हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तो उसकी दूरी एवं क्षमता की विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

**22. Case No. P2/1121/2025: Prior Environment Clearance for Machhrewa Irrigation Project on Machhrewa River covering a Cultural Command Area (CCA) of 16,375 Ha. & submergence area of 745.8123 Ha. in Tehsil & District - Narsinghpur of Madhya Pradesh by, Water Resources Department, (M.P.) through Executive Engineer Water Resources Division, Pench Colony, Chand Road, Tehsil Chourai, District Chhindwara, MP 480115(M.P.) Email:ee.pdpdnchourai.cdw@mp.gov.inCat. B 1(c) River Valley/Irrigation Projects-TOR., Proposal No.SIA/MP/RIV/523542/2025..**

1. उक्त प्रकरण मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में मछरेवा नदी पर मछरेवा सिंचाई परियोजना के पूर्व पर्यावरण मंजूरी का है, जिसमें 16,375 हेक्टेयर का सी.सी.ए. और 745.8123 हेक्टेयर का डूब क्षेत्र शामिल है।
2. प्रस्तावित सिंचाई परियोजना कोमध्य प्रदेश राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग से पत्र क्र. एफ 31–16/2020/27–1 भोपाल दिनांक 25.03.2022 के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी है।
3. प्रस्तावित प्रकरण नदी घाटी परियोजना की है अत ईआईए अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित अधिसूचना दिनांक 20–04–2022 के अनुसार उक्त परियोजना का सीसीए 10000 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम बी के अंतर्गत श्रेणी1(सी) केटेगरी में "बी1"के अंतर्गत शामिल है, इसलिए ऐसी परियोजनाओं को SEIAA से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
4. कार्यालय वन मण्डल अधिकारी कार्यालय, नरसिंहपुर पत्र क्रमांक 1188 दिनांक 24.02.2025 के अनुसार परियोजना क्षेत्र से नौरादेही अभ्यारण्य – 90.0 किमी की दूरी पर स्थित है।कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, नरसिंहपुर पत्र क्र. 1809 दिनांक 24.09.2024 के अनुसार परियोजना के कार्यस्थल से अंतर्राजीय सीमा के न्यूनतम दूरी 153.0 किलोमीटर है। अतः परियोजना General condition से परे है।
5. परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 745.8123 हेक्टेयर है जिसमे निजी भूमिः 286.7367 हेक्टेयर तथा 459.0756 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है.। वन मंजूरी के लिए परियोजना को परिवेश पोर्टल पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 29.10.2024 को सभी संशोधनों के साथ प्रस्ताव संख्या एफपी/एमपी/एचवाईडी/आईआर आरआईजी/503403/2024 के माध्यम से आवेदन किया गया है।

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

6. SEAC की 778 वीं बैठक दिनांक 25.03.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित टॉर प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 40 से 43 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 778 वी बैठक दिनांक 25.03.25 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित टॉर जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ टॉर (TOR) प्रदान किये जाने का **निर्णय लिया गया :–**

1. चूंकि परियोजना में 459.0756 हेक्टेयर वन क्षेत्र शामिल है, वन मंजूरी के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव संख्या एफपी/एमपी/एचवाईडी/आईआर आरआईजी/503403/2024 के माध्यम से आवेदन किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त कर इसकी प्रति ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोगहेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।
3. Site specific management planका विस्तृत अध्यनकर ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख करे।
4. Sandकी कमी को देखते हुए sand के पुर्न उपयोग का प्रावधान को ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख करे।
5. प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे ।
6. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area), forest area से संबंधित समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जानेवाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।
7. संचालन अवधि के दौरान marshy land की स्थिति बनने पर क्या control measures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे।
8. रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा ईआईए रिपोर्ट में करे।
9. प्रस्तावित परियोजना के पास यदि कोई हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तो उसकी दूरी एवं क्षमता की विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।
10. प्रस्तावित परियोजना की अधिसूचित ईको सेंसेटिव जोन से दूरी कितनी है का वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण करवाकर ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाये।

| (आर. उमामहेश्वरी)<br>सदस्य सचिव | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)<br>सदस्य | (शिव नारायण सिंह चौहान)<br>अध्यक्ष |
|---|---|---|

23. प्रकरण क्र. **P-2/489/2024** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डालमिया सीमेन्ट (भारत) लिमि, श्री कार्तिकेनयन वी., उप कार्यपालन संचालक निवासी– पो. कल्लाकुड़ी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु (तमिलनाडु) द्वारा चूनापत्थर खदान (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता चूना पत्थर 0.46 मिलियन टन प्रतिवर्ष, मिट्टी 0.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ओवरवर्डन 0.36 मिलियन टन प्रतिवर्ष, मिनिरल रिजेक्ट 0.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. ग्राम बदरखां 200, 201/1, 201/2, 202, 203, 206, 207 एंव अन्य ग्राम बिगोड़ी खसरा नं. 90/1, 90/2, 91/1/1, 91/1/2 एवं अन्य ग्राम सन्नेही, सगटी 101/1/क, 101/1/ख, 101/2 एवं अन्य, रकबा 121.1 हेक्टेयर, ग्राम बदरखा, बिगोड़ी, सन्नेही एवं सगटी, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 775वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 एवं 747वीं बैठक दिनांक 02.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 866वी बैठक दिनांक 31.01.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

*"SEIAA ने पाया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डालमिया सीमेन्ट (भारत) लि.मि. को म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय द्वारा अपने पत्र क्र. एफ–3–10/2020/12/1 दिनांक 17.09.2020 द्वारा Letter of Intent 03 वर्ष की वैधता हेतु जारी किया गया था, जो कि दिनांक 16.09.2023 तक के लिये वैध था। उक्त अवधि के बाद प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो LOI की वैधता अवधि की वृद्धि की पुष्टि करता हो अथवा वर्तमान में LOI के अस्तित्व में होने की पुष्टि करता हो।*

*परिवेश पोर्टल के ऑनलाइन फॉर्म के Part-B के सरल क्र 12.1.1 में उल्लेख है की "Date of issue of LOI/Vesting Order/Mining Lease" दिनांक 17.09.2020 से स्पष्ट है कि पर्यावरण स्वीकृति के लिये LOI/Vesting Order/Mining Lease का होना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक ने स्वयं सरल क्र. 12.1.2 में स्वीकार किया गया है कि उसकी LOI दिनांक 16.09.2023 को समाप्त हो चुकी है।*

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 1216/SEIAA/2019 दिनांक 20.06.2019 के भाग ख के सरल क्रं 4 में स्पष्ट उल्लेख है कि पर्यावरण स्वीकृति जारी करने के पूर्व प्रकरण में Valid माईनिंग लीज का स्वीकृति आदेश होना आवश्यक है।*

*चूँकि प्रश्नाधीन प्रकरण में LOI दिनांक 16.03.2023 को समाप्त हो चुकी है, अब अस्तित्व में नहीं है किन्तु SEAC ने अपनी 747वी बैठक दिनांक 02.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है, किन्तु उपर्युक्त कारणों से पर्यावरण स्वीकृति जारी करना विधि के अनुकूल नहीं होगा। अतः पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने से पूर्व SEAC से अभिमत प्राप्त किया जाये।"*

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 775वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 का पुनः परीक्षण कर पूर्व अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण प्राधिकरण को अग्रेषित किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 775वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 एवं 747वीं बैठक दिनांक 02.05.2024 की विशिष्ट शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| --- | --- | --- |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) म.प्र. खनिज साधन विभाग के आदेश कमांक एफ 3–10/2020/12/1 दिनांक 03.10.2023 के माध्यम से 50 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता 30 वर्ष (दिनांक 02.10.2053) तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया प्रारंभ करने के पूर्व भू–स्वामी की सहमति प्राप्त की जायेगी एवं जिला खनिज अधिकारी उक्त खदान में खनन संक्रिया आरंभ करवाये जाने के पूर्व जिला कलेक्टर के समक्ष परियोजना प्रस्तावक एवं भू–स्वामी की उपस्थिति में भू–स्वामी द्वारा प्रदत्त सहमति/अनापत्ति का अभिप्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से करवाया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकियाऐं प्रारंभ करने के पूर्व खनन क्षेत्र में स्थित वृक्षों में से काटे जाने वाले 85 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 850 पौधों का रोपण अनिवार्यतः किया जायें एवं सुरक्षा हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायेंगे। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के SEIAA कार्यालय में प्रेषित किया जायें। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानब बसाहट, पक्की सड़क एवं तालाब से न्यूनतम 200 मीटर तक" एवं नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित कर प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर अनिवार्यतः अपलोड करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि संचालन के पूर्व खदान के पास स्थित तालाब की Ecological Study (Physico-chemical एवं Biological Study का समावेश करते हुए) की जाये तथा प्रतिवेदन 1 माह में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

**24. प्रकरण क्र.11175/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री संजय राय, निवासी– होटल उत्सव विला सरदार बल्लभ भाई पटेल ब्रिज, हृदयपुर दमोह जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा बाक्साईट एवं लेटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता बाक्साईट 58970 टन प्रतिवर्ष, लेटेराईट 52836 टन प्रतिवर्ष, एवं ओ.बी 4718 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 64/1 रकबा 9.049 हेक्टेयर, ग्राम बरूई, तहसील मझगवॉ, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 781वीं बैठक दिनांक 03.04.2025 एवं 768वीं बैठक दिनांक 28.01.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य **स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 868वी बैठक दिनांक 14.02.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

*"राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–*

*I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्रानुसार अंतराज्यीय सीमा की दूरी खनन क्षेत्र से 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर होना बताया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अंतराज्यीय सीमा की सही दूरी क्या है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलेक्टर सतना से अंतराज्यीय सीमा की दूरी खनन क्षेत्र से कितने किलोमीटर पर है का अभिप्रमाणीकरण करवाकर 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।*

*II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू–सहमति में उल्लेख है कि उक्त भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 31.12.2024 के पूर्व करा ली जावेगी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त भूमि की रजिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत करें।*

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

III. *SEAC समिति द्वारा प्रकरण के कार्यवाही विवरण दिनांक 28.01.2025 में उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में डिया द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के पुर्नमूल्यांकन का है, किन्तु प्रकरण में डिया की पर्यावरण स्वीकृति संलग्न नहीं है। अतः SEAC समिति उपर्युक्त तथ्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।"*

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 781वीं बैठक दिनांक 03.04.2025 को पुनः परीक्षण कर पूर्व अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण प्राधिकरण को अग्रेषित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र कमांक 2196 दिनांक 21.11.2023 अनुसार स्वीकृत खदान रानीपुर टाईगर रिजर्व के अधिसूचित परिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) की सीमा से 4.923 कि.मी. दूर स्थित होना उल्लेखित है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.06.2014 में उल्लेखित *"Any project or activity specified in category 'B' will be appraised at the Central)evel as Category' A', if located in whole or in part within 5 km. from the boundary of: (i) Protected areas notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically polluted areas as identified by the Central Pollution Control Board constimted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item I(c), Thermal Power Plants specified in item I (d), Industrial estates/parks/complexes/areas, export processing zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7(c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7( d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10km."* के अनुसार उक्त खदान रानीपुर टाईगर रिजर्व के अधिसूचित परिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) की सीमा से 5 कि.मी. के अंदर होने के कारण प्रकरण ए–श्रेणी के अंतर्गत होना प्रतीत होता है। SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि रानीपुर टाईगर रिजर्व की अधिसूचित परिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) की सीमा से प्रस्तावित खदान 4.923 कि.मी. है इसके उपरांत भी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.06.2014 के अनुसार प्रकरण का परीक्षण न करते हुए ए–श्रेणी के प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु SEAC अग्रेषित किया जाये। SEAC द्वारा 07 दिवस में अनुशंसा सहित प्रकरण प्राधिकरण को प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

**25. Case No P2/311/24 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) for production capacity of 40,000 m3/year (as per recommended by SEAC), in an area of 2.40 hectare, at Khasra No. 406/1 (Govt. land), Village - Bijawali, Tehsil- Buxwaha, District Chhatarpur (M.P.) by M/s Jeet Asia Private Limited, Shri Sohan Lal Saini, Authorized Signatory, R/O SCO-5, Second Floor, Huda Market,Near Hero Honda Chowk, Sector 10A, District-Gurugram.**

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 781वीं बैठक दिनांक 03.04.2025 एवं 758वी बैठक दिनांक 27.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 781वीं बैठक दिनांक 03.04.2025 एवं 758वी बैठक दिनांक 27.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र कमांक 3193 दिनांक 28.12.2023** एवं **अनुमोदित खनन** योजना दिनांक **08.01.2024 के** माध्यम **से 02 वर्ष की अस्थाई अनुज्ञा जारी** की **गई है, अतः यह** पूर्व **पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.12.2025** तक **वैध** मान्य **रहे**गी।

(ii) **छतरपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **स्टॉप डेम स्ट्रक्चर एवं जल** भराव **स्ट्रक्चर से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग** एवं **विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग न किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई** तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

**26. Case No P2/1143/24 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) for the production capacity Gitti 50000 Cum per year and M-Sand 12500 Cum per year, in an area 1.5 ha (Mineable area 1.27 ha, as recommended by SEAC) at khasra No. 302 in Village Gondiya, Tehsil & District Ujjain by M/s Ravi Infrabuild Projects Private Limited, 95, Hiran Magri Sector-11, Udaipur (Raj.).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 781वीं बैठक दिनांक 03.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 781वीं बैठक दिनांक 03.04.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के आदेश कमांक 3243 दिनांक 13.12.2024 के माध्यम से 02 वर्ष की अस्थाई अनुज्ञा जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.12.2026 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित

03.06.25

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योज़ना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस--पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

**27. Case No P2/1144/24 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method) for the production capacity Gitti 38475 cum 1st year & 36522.75 cum 2nd years and M.Sand 12825 cum 1st years & 12174.25 cum 2nd year (as per approved mine plan), in an area 2.00 ha. at khasra No. 317, Village Gondiya, Tehsil & District Ujjain by Ravi Infrabuild Projects Private Limited, 95, Hiran Magri Sector-11, Udaipur (Raj.).**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 781वीं बैठक दिनांक 03.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 781वीं बैठक दिनांक 03.04.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के आदेश कमांक 3245 दिनांक 13.12.2024 के माध्यम से 02 वर्ष की अस्थाई अनुज्ञा जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.12.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सीईआर का विस्तृत प्लान 01 माह में प्राधिकरण के समक्ष एवं परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी)<br>सदस्य सचिव | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)<br>सदस्य | (शिव नारायण सिंह चौहान)<br>अध्यक्ष |

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- **खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर** ओपन **नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।**

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

**28.** प्रकरण **क्र. 10464/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री लाल चक्रधर सिंह, पार्टनर, मेसर्स रामदास** वर्मा एंड **कंपनी, निवासी वार्ड नं. 29, 408/29, पांडे** ताला, तहसील हुजूर, जिला रीवा **(म0प्र0)** द्वारा **बॉक्साइट खदान** (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता बॉक्साइट–**55**,238, वेस्ट–**16,812 टन** प्रतिवर्ष, रकबा **16.187** हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1746, ग्राम टीकर, तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व **पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्राधिकरण की 870वी बैठक **दिनांक 18.02.2025 में प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया** गया :–

*प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2024 के परिपालन में प्रकरण में Petitioner श्री मानसिंह की ओर से श्री दीपक सिंह अधिवक्ता एवं प्रकरण में मैनेजिंग पार्टनर श्री लालचकधर सिंह मेसर्स रामदास वर्मा एण्ड कम्पनी तथा इनके अधिवक्ता श्री वैभव प्रताप सिंह प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए।*

*प्रकरण में उक्त उभय पक्षों द्वारा प्राधिकरण के समक्ष अपना मौखिक पक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा दोनो उभय पक्षों की सुनवाई के उपरांत उभय पक्षों को बताया गया कि जो आपके द्वारा मौखिक रूप से बताया गया है वह लिखित में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। जिसके उपरांत श्री लालचकधर सिंह द्वारा अपना लिखित पक्ष मय दस्तावेजों के प्रस्तुत किया गया एवं श्री मानसिंह के अधिवक्ता श्री दीपक सिंह द्वारा लिखित पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एक सप्ताह का समय चाहा गया है।*

***अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि Petitioner श्री मानसिंह के अधिवक्ता द्वारा 3 दिवस में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया जाये, जिसके उपरांत प्रकरण पर निर्णय लिया जायेगा। तदानुसार उभय पक्षों एवं सदस्य सचिव, SEAC को सूचित किया जाये।***

- प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णयानुसार Petitioner श्री मानसिंह को 3 दिवस में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय के पत्र क. 2105 दिनांक 21.02.2025 के माध्यम से सूचित किया गया ।
- प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में Petitioner श्री मानसिंह के अधिवक्ता द्वारा ईमेल दिनांक 20.02.2025 के माध्यम से लिखित में जबाव /पक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2024 के परिपालन में प्रकरण में दोनों पक्षों – श्री लालचकधर सिंह, पार्टनर, मेसर्स रामदास वर्मा एंड कंपनी एवं

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

Petitioner श्री मानसिंह के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

- प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा SEAC अनुशंसा को मान्य करते हुए ToR पत्र जारी किया गया है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में EIA प्रतिवेदन एवं जन सुनवाई की प्रति के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु SEAC में आवेदन किया जाना है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च **न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 एवं प्राधिकरण की 870वी बैठक दिनांक 18.02.2025 के परिपालन में Petitioner श्री मानसिंह, मैनेजिंग पार्टनर, रामदास वर्मा एंड कंपनी, जिला रीवा एवं श्री लाल चक्रधर सिंह मैनेजिंग पार्टनर, रामदास वर्मा एंड कंपनी, जिला रीवा** द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं आवेदित खदान क्षेत्र में पर्यवरणीय संवेदनशीलता के परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को अग्रेषित किया जाये।

**29.** प्रकरण क्र. 10465/2023 **परियोजना प्रस्तावक श्री लाल चक्रधर सिंह, पार्टनर, मेसर्स रामदास वर्मा एंड कंपनी, निवासी वार्ड नं. 29, 408/29, पांडे ताला, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) द्वारा बॉक्साइट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता बॉक्साइट–42,450, वेस्ट–12920 टन प्रतिवर्ष, रकबा 16.187 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1748, 1749, ग्राम टीकर, तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्राधिकरण म.प्र. की 870वीं बैठक दिनांक 18.02.2025 में प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2024 के परिपालन में प्रकरण में Petitioner श्री मानसिंह की ओर से श्री दीपक सिंह अधिवक्ता एवं प्रकरण में मैनेजिंग पार्टनर श्री लालचकधर सिंह मेसर्स रामदास वर्मा एण्ड कम्पनी तथा इनके अधिवक्ता श्री वैभव प्रताप सिंह प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए।*

*प्रकरण में उक्त उभय पक्षों द्वारा प्राधिकरण के समक्ष अपना मौखिक पक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा दोनो उभय पक्षों की सुनवाई के उपरांत उभय पक्षों को बताया गया कि जो आपके द्वारा मौखिक रूप से बताया गया है वह लिखित में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। जिसके उपरांत श्री लालचकधर सिंह द्वारा अपना लिखित पक्ष मय दस्तावेजों के प्रस्तुत किया गया एवं श्री मानसिंह के अधिवक्ता श्री दीपक सिंह द्वारा लिखित पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एक सप्ताह का समय चाहा गया है।*

*अतः **प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि** Petitioner **श्री मानसिंह के अधिवक्ता** द्वारा **3 दिवस में अपना** लिखित पक्ष प्रस्तुत किया जाये, जिसके **उपरांत प्रकरण पर निर्णय लिया जायेगा। तदानुसार उभय पक्षों** एवं सदस्य सचिव, SEAC **को सूचित किया जाये।***

- प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णयानुसार Petitioner श्री मानसिंह को 3 दिवस में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय के पत्र क. 2105 दिनांक 21.02.2025 के माध्यम से सूचित किया गया ।
- प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में Petitioner श्री मानसिंह के अधिवक्ता द्वारा ईमेल दिनांक 20.02.2025 के माध्यम से लिखित में जबाव /पक्ष प्रस्तुत किया गया।

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन **परिवेश** पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक **13.07.2024** के **परिपालन** में प्रकरण में दोनों पक्षों – श्री लालचकधर सिंह, पार्टनर, मेसर्स रामदास वर्मा एंड कंपनी एवं **Petitioner** श्री मानसिंह के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

- प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा SEAC अनुशंसा को मान्य करते हुए ToR पत्र जारी किया गया है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में EIA प्रतिवेदन एवं जन सुनवाई की प्रति के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु SEAC में आवेदन किया जाना है।

**प्राधिकरण द्वारा विस्तृत** चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत **निर्णय लिया गया कि माननीय** उच्च **न्यायालय, जबलपुर** द्वारा पारित आदेश दिनांक **13.08.2024** एवं **प्राधिकरण की 870वी बैठक दिनांक 18.02.2025 के परिपालन में Petitioner** श्री मानसिंह, **मैनेजिंग पार्टनर, रामदास वर्मा एंड कंपनी, जिला रीवा** एवं श्री लाल चक्रधर सिंह **मैनेजिंग पार्टनर, रामदास वर्मा एंड कंपनी, जिला रीवा** द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं आवेदित **खदान क्षेत्र में पर्यवरणीय संवेदनशीलता के परीक्षण हेतु प्रकरण** SEAC को अग्रेषित किया जाये।

**<u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :–</u>**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1533 (अ) दिनांक 14 सितंबर 2006 के अनुसरण में अधिसूचना क्र. का.आ.134 (अ) दिनांक 07 जनवरी 2025 के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. का गठन किया है। इस अधिसूचना के कंडिका 3 में उल्लेख है कि "प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं। इसकी कंडिका 5 में उल्लेख है कि प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में किए जाएगें। इसी की कंडिका 11 में उल्लेख है कि "The State Government of Madhya Pradesh shall specify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification."

म.प्र. शासन ने भारत सरकार की उक्त अधिसूचना 07 जनवरी 2025 की कंडिका 11 के पालन में EPCO को MP SEIAA के सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया है।

ई.आई.ए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के पैरा 3 (7) में उल्लेख है कि "All decisions of the SEIAA shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous; Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to MoEF."

उपर्युक्त समस्त विधिक प्रावधानों का समग्र रूप से अवलोकन करने एवं परिशीलन करने के बाद प्राधिकरण का कार्य सुचारू रूप संचालन करने के लिये निम्नानुसार निर्णय लिये जाते है –

1. प्राधिकरण से संबंधित समस्त विषय प्रकरण प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगे। यदि किसी विषय/प्रकरण को तुरंत प्राधिकरण की बैठक में रखना संभव न हो अथवा

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी)<br>सदस्य सचिव | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)<br>सदस्य | (शिव नारायण सिंह चौहान)<br>अध्यक्ष |

तुरंत प्राधिकरण की बैठक नियत न हो अथवा सदस्य सचिव/सचिवालय किसी विषय को तुरंत प्राधिकरण के संज्ञान में लाना चाहता हो और निर्णय प्राप्त करना आवश्यक समझता हो तो ऐसे समस्त विषय अध्यक्ष SEIAA के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें और अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किये गये एवं उनसे प्राप्त किये गये निर्णयों की जानकारी भी सदस्य सचिव/सचिवालय द्वारा प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी। सदस्य सचिव/सचिवालय को SEIAA से संबंधित समस्त विषय/प्रकरणों में अध्यक्ष/प्राधिकरण से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना होगी। सदस्य सचिव/सचिवालय द्वारा अध्यक्ष/प्राधिकरण की सक्षम स्वीकृति उपरांत ही निर्णयों/निर्देशों का तत्परता से क्रियान्वयन किया जायेगा। यह और स्पष्ट किया जाता है कि अकेले सदस्य सचिव द्वारा SEIAA से संबंधित किसी भी विषय/प्रकरण में कोई निर्णय लिया जाता है तो वह अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

2. प्राधिकरण की बैठकों का आयोजन करने के लिये दिनांक एवं समय सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तावित कर प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष नस्ती प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। बैठकों के लिये एजेण्डा भी सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा। सदस्य सचिव द्वारा एजेण्डा प्रस्तावित करने में MoEF&CC के Circular दिनांक 04.11.2008 का पालन किया जायेगा। एजेण्डा में Chronology के अलावा अन्य प्रकरणों को सम्मिलित करने के लिये प्राधिकरण की ओर से सक्षम स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा प्रदाय की जायेगी। प्राधिकरण की बैठकों के लिये दिनांक, समय एवं एजेण्डा का अनुमोदन प्राधिकरण के अध्यक्ष से प्राप्त हो जाने पर सदस्य सचिव द्वारा तत्काल परिवेश पोर्टल एवं MPSEIAA पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। महीने भर की बैठकों के लिये एजेण्डा सामान्यतः माह में 02 बार अपलोड किया जायेगा। जिसमें हर बार 15 दिवस के लिये बैठकों का दिनांक, समय एवं एजेण्डा की विषय–वस्तु का भी उल्लेख होगा।

3. प्राधिकरण के निर्णयो को पारदर्शी, त्रुटिरहित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिये, सदस्य सचिव द्वारा प्राधिकरण की बैठकों के एजेण्डे में प्रस्तावित प्रकरणों की संक्षेपिका तैयार की जायेगी जिसमें समस्त सुसंगत तथ्यों का समावेश होगा एवं उनका विधिक प्रावधानों के अंतर्गत परीक्षण कर स्पष्ट अभिमत दिया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पर्यावरण स्वीकृति Grant करने का कोई भी मापदण्ड छूटे नहीं अर्थात् परीक्षण करते समय सभी मापदण्डों का समावेश किया जायेगा। सचिव द्वारा प्रकरण का कोई भी तथ्य अनदेखा नहीं किया जायेगा। कोई भी तथ्य छुपाया भी नहीं जायेगा। ड्राफ्ट मिनिट्स भी तैयार किये जायेंगे जिसमें प्रस्तावित निर्णय का प्रारूप भी शामिल किया जायेगा। संक्षेपिका /ड्राफ्ट मिनिट्स में SEAC के निर्णय से सहमत/असहमत होने के कारण तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। संक्षेपिका /ड्राफ्ट मिनिट्स सदस्य सचिव द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। सदस्य सचिव के लिये यह भी समीचीन होगा कि व प्रोजेक्ट फैलो एवं प्रभारी अधिकारी से परीक्षण करवाने के बाद स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही संक्षेपिका/ड्राफ्ट मिनिट्स प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

| | | |
|---|---|---|
| (आर. उमामहेश्वरी) | (डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) | (शिव नारायण सिंह चौहान) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

**Dissenting decision of Member Secretary**

I have shown my disagreement with the decision taken on all cases. The basis of my disagreement.

1. सदस्य सचिव द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 07.05.2025 का कार्यवाही विवरण बैठक के दौरान लिये गये निर्णयों के आधार पर तैयार कर व हस्ताक्षरित कर अध्यक्ष SEIAA को अनुमोदन हेतु दिनांक 14.05.2025 को अध्यक्ष SEIAA के हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया गया था। बैठक दिनांक 07.05.2025 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार कर प्रेषित उक्त कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष एवं सदस्य SEIAA द्वारा हस्ताक्षर न करते हुए कार्यवाही विवरण प्रेषित करने के लगभग 18 दिवस पश्चात् दिनांक 31.05.2025 को नस्ती पर पूर्ववर्ती दिनांक 15.05.2025 अंकित करते हुए तत्कालीन सदस्य सचिव के कार्यालय में भेज दी गई। उक्त नस्ती को तत्कालीन सदस्य सचिव द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय अनुरूप पूर्व में प्रेषित कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर हेतु पुनः दिनांक 02.06.2025 को भेजे जाने पर अध्यक्ष द्वारा नस्ती से उक्त कार्यवाही विवरण को पृथक कर एक नवीन कार्यवाही विवरण नस्ती में संलग्न कर दिनांक 03.06.2025 को प्रेषित किया गया जिस पर अध्यक्ष एवं सदस्य के हस्ताक्षर हैं। उक्तानुसार प्रेषित नवीन कार्यवाही विवरण में समान प्रकरणों में भिन्न भिन्न निर्णय अंकित है जो नियमानुसार नहीं है। अध्यक्ष एवं सदस्य SEIAA द्वारा बहुमत के आधार पर तैयार कार्यवाही विवरण में लिये गये निर्णयों के संबंध में सदस्य सचिव द्वारा पत्र कमांक 764/SEIAA/2025 दिनांक 04.06.2025, 1190/SEIAA/2025 दिनांक 19.06.2025, 837/SEIAA/2025 दिनांक 03.07.2025, 860/SEIAA/2025 दिनांक 07.07.2025 एवं 879/SEIAA/2025 दिनांक 10.07.2025 के माध्यम से निरंतर अवगत कराया गया कि बहुमत के आधार पर तैयार कार्यवाही विवरण बैठक के दौरान लिये गये निर्णयों के विपरीत एवं एक समान प्रकरणों में भिन्नः-भिन्न निर्णयों के आधार पर तैयार किया गया है जो नियमानुसार नहीं है। इसके उपरांत भी सदस्य सचिव द्वारा उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण को अंतिम स्वरूप प्रदान किये जाने हेतु एक विशेष बैठक के आयोजन हेतु पत्र कमांक 860/SEIAA/2025 दिनांक 07.07.2025 प्रेषित किया गया किन्तु उस पर भी अध्यक्ष SEIAA द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई। उपरोक्त कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा राज्य शासन एवं भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। बैठक दिनांक 07.05.2025 का अध्यक्ष एवं सदस्य SEIAA द्वारा बहुमत के आधार तैयार कार्यवाही विवरण से सदस्य सचिव सहमत नहीं है।

2. अध्यक्ष SEIAA की अनुमति से जोड़े गये अन्य विषय के संबंध में लेख है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के किसी भी नियम/अधिनियम में प्राधिकरण की बैठकों के एजेण्डे अपलोड करने हेतु अध्यक्ष SEIAA से अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उल्लेख नहीं है एवं SEIAA की बैठकों के आयोजन व कार्यवही विवरण इत्यादि के संबंध में राज्य सरकार पर्यावरण विभाग के निर्देश पत्र दिनांक 07.05.2025 में भी एजेण्डे का

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

अनुमोदन अध्यक्ष SEIAA से प्राप्त किये जाने का उल्लेख नहीं है सिर्फ सदस्य सचिव द्वारा परिवेश पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की सूची बैठक में प्रदर्शित किये जाने के निर्देश है। तदानुसार सूची बैठक में प्रदर्शित की जाती है एवं ई–मेल भी समय–समय पर भेजा जाता है। **बैठक के कार्यवाही विवरण बैठक के पूर्व तैयार** कर अध्यक्ष SEIAA को प्रस्तुत किये जायेंगे ऐसा भी किसी नियम में उल्लेख नहीं है। बैठक के बाद ही कार्यवाही विवरण तैयार किये जाने के निर्देश है। प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत समस्त प्रकरणों की वस्तुस्थिति एवं दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहते है एवं अध्यक्ष व सदस्य की आईडी पर भी उपलब्ध रहते हैं इसलिये प्राधिकरण की बैठक में प्रकरणों के निर्णयों से संबंधित समस्त जिम्मेदारी प्राधिकरण की ही होती है।

(आर. उमामहेवरी)
सदस्य सचिव

**इस तरह कार्यवाही विवरण के समस्त प्रकरणों में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मत निर्णय न होने के कारण इस संबंध में EIA Notification Dated 1-12-2009 SO 3067 (E) के अनुसार मिनट्स की प्रति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी जाये।**

Signature Not Verified
Digitally Signed by : Smt R Umamheshwari
Member Secretary, SEIAA
Date: 16/07/2025